भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5187

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाना

5187. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली सामग्री/वेब सीरीज में अक्सर सेक्स, हिंसा, दुर्व्यवहार, अश्लीलता और धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मानजनक सामग्री को अत्यधिक दिखाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और अब तक ऐसी सामग्री से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी है;

(ग) ओटीटी प्लेटफार्मों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में वर्तमान कानूनी प्रक्रियाएं और शास्तियॉ क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का आपत्तिजनक, अशिष्ट, अश्लील, संवेदनशील अथवा फर्जी सामग्री से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए नए विनियामक कानून लाने या विशिष्ट विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव का विशिष्ट ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित भाग-III में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। संहिता में ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि प्रकाशक भारत के बहु-नस्लीय और बहु-धार्मिक संदर्भ को ध्यान में रखेगा और किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूह के कार्यकलापों, विश्वासों, प्रथाओं या दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते समय उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करेगा। संहिता में ओटीटी प्लेयर्स से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें जो कानून द्वारा निषिद्ध हो और सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करें, जैसा कि नीचे दिया गया है:

सामग्री की प्रकृति (के लिए उपयुक्त)	**वर्गीकरण**
अप्रतिबंधित पहुंच, सभी आयु वर्गो के लिए और परिवार सहित देखने लायक	यू
7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तथा 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 7+
13 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तथा 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 13+
16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, तथा 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 16+
केवल वयस्कों के लिए	ए

इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में उपयुक्त सरकारों द्वारा गैर-कानूनी कृत्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मौजूदा सांविधिक ढांचे के तहत आचार संहिता या अन्य भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले ओटीटी प्लेटफार्मों के खिलाफ ऐसी सामग्री की होस्टिंग के लिए कार्रवाई करता है।

*****